राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला संरक्षण प्रकोष्ठ
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकःएफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 97335 जयपुर, दिनांकः 28/9/18

आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पालना में निदेशालय महिला अधिकारिता में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु पूर्व में गठित आन्तरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता हैः

क्र.स.	नाम	पदनाम	पद
1	श्रीमती कमला	परियोजना समन्वयक	अध्यक्ष
2	श्रीमती कमलिनी द्रविड़	कार्यक्रम निदेशक, मुख्यालय	सदस्य
3	श्री चौथमल	लेखाधिकारी	सदस्य
4	श्रीमती सुनिता मीणा	सहायक निदेशक, मसंप्र	सदस्य सचिव
5	श्री रामचंद्र गुर्जर	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
6	श्रीमती कविता	गैर सरकारी संगठन की प्रतिनिधी	सदस्य

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष तक का होगा।
2. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के अनुसार देय होंगें।
3. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अंतर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जायेगा।

आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांकःएफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 97336-347 जयपुर, दिनांकः 28/9/18
01/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्रीमती कविता, केंद्र प्रबंधक, अपराजिता वन स्टॉप केंद्र, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

उपनिदेशक (म सं प्र)